न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का धोरीमन्ना

बनाम श्री ......[illegible]......

पुत्र श्री ......[illegible]......

जाति ......[illegible]......

निवासी ......[illegible]......

निर्णय

प्रकरण संख्या :– 252/2016

दिनांक :– 13/5/2016

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **धोरीमन्ना** ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम **धोरीमन्ना** के आराजी खसरा नम्बर 633 रकबा 7-00 बीघा में से 30 [illegible] भूमि किस्म B.3 भूमि पर गैर सायल द्वारा संवत 2073 में डोली बनाम आलमजी की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 A के सपठित 91 तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल ~~उपस्थित~~ / अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब ,साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैर सायल द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैर सायल को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 A के सपठित 91 तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदलख करने के आदेश दिये जाते है तथा वार्षिक लगान 01 रूपये रूपये का 50 गुणा न्युनतम ,50 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/5/2016 को मुकाम धोरीमन्ना पर सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार धोरीमन्ना

जिला बाड़मेर।